2025/175

निर्णय
26.5.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

लीलाधर बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 128 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.03.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 07.04.2025 को पेश हो।	
7.4.2025	वकील कार्यालय उपस्थित/PO गैर हाजिर है। पत्रावली दिनांक 16.6.2025 को पेश हो	
16.7.2025	वकील कार्यालय उपस्थित/PO गैर हाजिर है। पत्रावली दिनांक 26.5.2025 को पेश हो	
26.5.2025	वकील कार्यालय उपस्थित हेतु जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध डिक्री आदि के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्व डिक्रण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फर्द किया जावे। पत्रावली नम्बर के क्रम की जाकर बाद तामिल तकमील डाला दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.31 15:35:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर